न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट गोलाकाबास)

वाद संख्या :– 02 / 37 / 2015

1. सुल्तान पुत्र कन्हैया लाल जाति मीना निवासी भानगढ तहसील राजगढ़ – प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत गोला का बास जरिये सरपंच
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ
3. जिलाधीश महोदय अलवर – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 24.05.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट गोलाकाबास पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 02.04.2008 को आराजी विवादित खसरा संख्या 96, 97, 101, 110, 104, 105, 115, 117, 118, 114 वाके ग्राम भानगढ तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 02.06.2008 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी से प्रार्थी जबरन बेदखल कर कब्जा न करें व कार्यकाशत प्रार्थी में रूकावट मजाहमत न करें। अप्रार्थीगण की ओर से बाद उपस्थित होने पर भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत गोला का बास जो कि कैम्प के दौरान उपस्थित है के द्वारा अपील संख्या 46 / 2006 निर्णय राजस्व अपील अधिकारी दिनांक 29.02.2008 की प्रति व अपील डिक्री / टी.ए. / 3916 / 2008 / अलवर में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 16.02. 2018 की प्रति पेश की गई। उक्त निर्णय प्रतियों से यह स्पष्ट होता है कि उक्त विवादित आराजी बाबत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के न्यायालय द्वारा अपील संख्या 46 / 2006 निर्णय दिनांक 29.02. 2008 में आराजी विवादित अपीलान्ट ग्राम पंचायत के पक्ष में डिक्री की जा चुकी है जिसकी अपील सुल्तान जो इस वाद में वादी है के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के यहां की गई जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 16.02.2018 के द्वारा सुल्तान अपीलान्ट द्वारा की गई अपील निरस्त की गई है व राजस्व अपील अधिकारी अलवर का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.02.2008 को बहाल रखा है जो ग्राम पंचायत के पक्ष में डिक्री हुआ है। इस प्रकार उक्त निर्णयों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि आराजी विवादित का निर्णय राजस्व अपील अधिकारी अलवर व राजस्व मण्डल अजमेर के यहां से ग्राम पंचायत के पक्ष में डिक्री हो चुका है तो उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी 212 आर.टी. एक्ट का जो प्रार्थी सुल्तान द्वारा डिक्रीदार ग्राम पंचायत गोला का बास के विरूद्ध पेश किया हुआ है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित खसरा संख्या 96, 97, 101, 110, 104, 105, 115, 117, 118, 114 वाके ग्राम भानगढ तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट गोलाकाबास)